रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2010/वैशाख 17, 1932
No. 242] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2010/VAISAKHA 17, 1932

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2010

सा.का.नि. 389(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3, उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. 238(अ) तारीख 6 अप्रैल, 2009 के अधिक्रमण में, भारत में पशुओं के अश्व प्रजातियों के आयात को विनयमित करती है ।

2. अश्वों के आयात को इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में दी गई प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

अनुसूची

1. **पात्रता**:—निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने की दशा में ही अश्वों के आयात की अनुमति दी जाएगी, अर्थात् :—

(i) अश्व किसी ऐसे देश से आएं ;

(क) जो अफ्रीकी अश्व रोग से मुक्त हों ;

(ख) जहां पिछले बीस मास के दौरान सांसर्गिक इक्वाइन मेट्रीटिस (सीइएम) होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई हो,

(ग) यदि घोड़े सांसर्गिक इक्वाइन मेट्रीटिस संक्रमित देश से आते हैं तो आयात की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी,

(i) सात वर्ष तक का नर और पांच वर्ष तक की मादा जिसका समागम नहीं करवाया गया हो, या

(ii) समागम करवाए गए घोड़े और गर्भवती घोड़ियां जो वैसी स्थापना से लाए गए हों जो कम से कम तीन बर्षों से सांसर्गिक इक्पवाइन मेट्रीटिस से मुक्त स्थापना से लाए गए हो।

(ii) संपूर्ण प्रजनक घोड़ों के मामले में; प्रजनन/पोलो/खेलों इत्यादि के लिए आयात की अनुज्ञा दी जाएगी;
(iii) निर्यात से पूर्व अश्वों को आवश्यक परीक्षण के लिए निर्यात-पूर्व संगरोध से गुजरना अपेक्षित है;
(iv) अश्वों का आयात केवल दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य हवाई अड्डों के द्वारा किया जाएगा तथा आयातक द्वारा संगरोध अधिकारियों को खेप पहुंचने के कम से कम पंद्रह दिनों पूर्व लिखित में सूचित किया जाएगा।
(v) प्रस्थान से पूर्व तीन सौ दिनों से अधिक की अवधि से गर्भस्थ पशुओं का आयात नहीं किया जाएगा।

2. **पहचानः** अश्वों के साथ वैध पासपोर्ट होना चाहिए अथवा यदि अश्व मूलतः पासपोर्ट जारी न करने वाले देश का है तो वहां निर्यातक देश के अधिकारिक पशुचिकित्सक द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित पहचान पत्र के साथ संपूर्ण इतिवृत्त सहित होना चाहिए।

3. **पशुचिकित्सा प्रमाण पत्रः** अश्व के साथ निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार निर्यातक देश के अधिकारिक पशुचिकित्सक द्वारा जारी एक वसैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिएः

भारत में अश्वों के आयात के लिए पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

निर्यातक देशः

मंत्रालयः

विभागः

प्रान्त या जिला इत्यादिः

----

1. पशु/ओं की पहचान

क) पशु का विवरणः

प्रजाति	नस्ल	नाम/ गोधना	लिंग	आयु/ तारीख/ जन्मवर्ष	रंग	पासपोर्ट लाइसेंस संख्या	साइर	डैम

ख) पशु का चित्र, चिह्न और विवरणः

कृपया यह सुनिश्चित करें कि चित्र और लिखित विवरण एक जैसे हों।

2. पशु/ओं का मूल

निर्यातक का नाम और पताः

पशु/ओं के उद्भव का स्थानः

---

3. पशु/ओं का गंतव्य स्थान

गंतव्य देश का नामः

पारेषक का नाम और पताः

परिवहन के साधन की प्रकृति और पहचानः

---

4. स्वच्छता सूचना

अधोहस्ताक्षरी सरकारी पशुचिकित्सक यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त वर्णित पशु की आज जांच की गई:

(क) लदाई के दिन संक्रामक अथवा सांसर्गिक रोग का कोई रोग विषयक लक्षण या चिह्न प्रतीत नहीं होता;

(ख) यह निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है:-

(1) देश अफ्रीकी अश्व रोग से मुक्त है;

(2) निर्यात के ठीक पहले एक सौ अस्सी दिनों के दौरान, यह अश्व किसी ऐसे देश में नहीं गया है जहां निर्यात के ठीक दो वर्षों पहले तक अफ्रीकी अश्व रोग हुआ हो;

(3) देश में विगत बीस महीनों के दौरान कंटेजियस इक्वाइन मेट्रिटिस (सी ई एम) की सूचना नहीं मिली है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी सी ई एम संक्रमित या सी ई एम संक्रमण वाले देशों के मूल/वहां पाले गए/दौरा किया कोई पशु नहीं है; या

वह देश जहां सांसगिक इक्वाइन मेटिटिस (सीइएम) रिपोर्ट हुआ हो, लेकिन नियात किए जाने वाले पशु:

(i) सात वर्ष से कम (नर के मामले में) पांच वर्षों से कम (मादा के मामले में) आयु के हैं, जिनका समागम नहीं कराया गया है तथा अश्व निर्यात के तत्काल पूर्व बारह महीनों के दौरान प्रजनन स्टॉक के संपर्क में नहीं है; या

(ii) समागम करवाए गए घोड़े और गर्भवती घोड़ियां जो कम से कम तीन वर्षों से सांसर्गिक इक्वाइन मेट्रिटिस से मुक्त स्थापना से लाए गए हो;

(4) आवश्यकता (3) के (i) और (ii) के मामलों में, अश्वों के प्रीप्यूस, यूरेथ्रा, वेजाइना; सर्विक्सस, जो भी स्थिति हो, से लिए गए स्वाबों को निर्यात-पूर्व संगरोध के दौरान, सात दिनों में दो लगातार स्टैंडर्ड कल्चर पद्धति से जांच करके पैथोजेनिक माइक्रो-आर्गेनिज्म, विशेषकर टाइलोरेला एक्विजेनिटलिस के लिए निगेटिव पाया गया;

(5) जहाज में लदान से तीन महीने पूर्व अश्व को स्थापन में रखा गया था, जहां इपीजूटिक लिंफेंनजाईटिस, अल्सर्टिव लिम्फेंनजाईटिस, ट्राइपेन्सोमिएसिस, डूरीन, इक्वाईन पिरोप्लास्मोसिस, इक्वाईन रियोन्यूमोनिटिस, इक्वाईन इन्सेफ्लोमाईलिटिस, इक्वाईन इंफ्लूएंजा, इक्वाईन इन्फक्शस एनीमिया, पोटोमेक हार्स फीवर, वेस्ट नील वायरस इंफेक्शन तथा वेसीक्यूलर स्टेमेटिसिस सहित किसी प्रकार के संक्रामक या संसर्गी रोग नहीं था तथा ऐसे स्थापन के आस-पास ऐसे किसी रोगों की सूचना नहीं थी;

(6) निर्यात से पहले पशु को इक्वाईन इंफ्लूएंजा (मृत) बाइवेलेंट का टीका लगाया गया है, तथा अंतिम टीका जहाज पर चढाने के तीस दिनों के भीतर किन्तु चौदह दिन से पहले नहीं लगा होना चाहिए;

(7) निर्यात किए जा रहे अश्व को सरकार द्वारा अनुमोदित संगरोध केंद्र में अकेले रखा गया है और निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षणों के नकारात्मक परिणाम के अधीन है, अर्थातः

सारणी

रोग	रोग नैदानिक जांच	दशा
(1)	(2)	(3)
ग्लैण्डर्स	मलेईन/कम्प्लीमेंट फिक्शेसन परीक्षण (सीएफटी)	लदाई के पूर्व पंद्रह दिनों की अवधि के दौरान
डाउरिन	कम्प्लीमेंट फिक्शेसन परीक्षण (सीएफटी)	लदाई के पूर्व पंद्रह दिनों
इक्वाईन इंफेक्शस न्यूमोनिया (ईआईए)	कॉगिन्स (इक्यूनोडिफ्यूजन परीक्षण)	लदाई के पूर्व तीस दिनों की अवधि के दौरान
इफेक्शस इक्वाईन एबार्शन (सलमोनेला एबट्र्स क्वि)	सेरम इग्लुटिनेशन परीक्षण (टिटर एक/तीन हजार से अधिक नहीं)	लदाई के पूर्व पंद्रह दिनों
इक्वाईन वायरल आरिटिरिटिस (ईवीए)	वायरस न्यूट्रलाइजेशन परीक्षण	लदाई के अट्ठाईस दिनों पूर्व की अवधि के दौरान नकारात्मक परिणाम के साथ कम से कम चौदह-चौदह दिनों में दो बार।
बेसीकुलर स्टेमिटिटिस	कम्प्लीमेंट फिक्शेसन परीक्षण (सीएफटी/एन्जाइम-लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे (ई एल आईएसए)	निर्यात पूर्व संगरोध के आरंभ होने से कम से कम इक्कीस दिनों बाद।
कंटेजियस इक्वाईन मेट्रिटिस (सीईएम)	माइक्रो-आर्गेनिजम का कल्चर	निर्यात पूर्व संगरोध अवधि के दौरान नकारात्मक परिणाम के साथ सप्ताह भर के अंतराल पर दो लगातार जांच।
इक्वाईन पीरोप्लाज्मोसिस (बवेसिया इक्वी तथा बबेसिया कबाल्ली)	कम्प्लीमेंटेशन फिक्शेशन परीक्षण (सीएफटी)/इनडरेक्ट फ्लेरेसेंट एंटीबॉडी परीक्षण (आइएफएटी)	लदाई के तीस दिनों पूर्व की अवधि के दौरान

1736 GI/10-2

वेनेजुएलन इक्वाईन इनसेफालोमाएलिटिस	हेमेग्लूटिनेशन इनहिबीशन (एचआई) या कम्प्लीमें फिक्शेसन परीक्षण (सीएफटी) या प्लेग रिक्शन न्यूट्रलाइजेशन परीक्षण) (पीआरएनटी)	निर्यात पूर्व संगरोध के आरंभ होने के बाद चौदह दिनों से कम नहीं।

टिप्पणः **ऐसे रोगों के लिए जिनके बारे में मुक्ति स्थिति प्रमाणित हो चुकी है और सांसर्गिक इक्वाईन मेट्रिटिस के लिए बंधिया किए गए बंध्याकृत-घोड़ों के मामले में कोई जांच आवश्यक नही है।**

शासकीय मुद्रा

हस्ताक्षर.....................................
पशुचिकित्सक का नाम व पताः
....
..........को....................जारी।

4. **आयात पूर्व संगरोधः** भारत में आयात के बाद, पशु को संगरोध के लिए सरकारी संगरोध केंद्र पर कम से कम तीस दिनों के लिए रखा जाएगा। संगरोध अवधि के दौरान, पशु किसी भी प्रकार के रोग के लिए मानक कल्चर तथा सेरोलॉजिकल परीक्षण; जैसा आवश्यक हो, के अधीन होगा। संसर्गजन्य इक्वाईन मेट्रिटिस (सीइएम) के मामले में, सात दिनों के अंतराल पर लिए गए लगातार तीन नमूनों को नकारात्मक होना चाहिए। किसी पशु को किसी विदेशी रोग में सकारात्मक पाए जाने की स्थिति में, उस पशु को उतारकर आयातक के खर्च पर उसके मूल देश को वापस भेज दिया/संगरोध केंद्र पर नष्ट कर दिया जाएगा।

[फा. सं. 109-2/2009-ट्रेड]
अरविंद कौशल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th May, 2010

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898) and in supersession of the notification G.S.R 238(E) dated 6th April, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1), the Central Government hereby regulates the import of equine species of animals into India.

2. Import of equines shall be regulated as per procedure laid down in the Schedule annexed to this notification.

SCHEDULE

1. ELIGIBILITY: Import of equines shall be allowed only if the following conditions are satisfied, namely:-

(i) the equine should come from a country;

(a) which is free from African Horse Sickness;

(b) where Contagious Equine Metritis (CEM) has not been reported during the last twenty months;

(c) if the horses come from the Contagious Equine Metritis infected country, import is allowed on the following conditions;

(i) males up to seven years and female up to five years of age which have not been mated, or

(ii) the breeding horses that have mated and pregnant mares comes from an establishment which has been free from Contagious Equine Metritis for at least three years;

(ii) in case of Thoroughbred horses, import will be allowed for breeding/polo/games etc;

(iii) prior to export the equines are required to under go pre-export quarantine for necessary testing;

(iv) the equine shall be imported only through the International airports of Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai or any other airport notified by the Government from time to time and the quarantine officers may be informed by the importer in writing at least fifteen days prior to the arrival of the consignment;

(iv) the animals with more than three hundred days of pregnancy prior to departure are not to be imported.

2. IDENTIFICATION: The equine must be accompanied with a valid passport; OR
In case the horse originates from countries not issuing a passport, the import must be accompanied by a complete history sheet with an identification certificate duly authenticated by an official veterinarian of the exporting country.

3. VETERINARY CERTIFICATE: The equine must be accompanied by a valid health certificate issued by an official veterinarian of the exporting country as per following format:

VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF EQUINES INTO INDIA

Exporting country:

Ministry of:

Department:

Province or District, etc.:

I. Identification of the animal/s

a) Details of the animal:

Species	Breed	Name/ Tattoo	Sex	Age/ Date/Year of Birth	Color	Passport License No.	Sire	Dam

b) Diagram, marks and description of the animal:

Please ensure that the diagram and written description agree

II. Origin of the animal/s

Name and address of the exporter:

Place of origin of the animal/s:

III. Destination of the animal/s

Country of destination: ______________________________

Name and address of consignee: ______________________________

Nature and identification of means of transport: ______________________________

IV. Sanitary information

The undersigned Official Veterinarian certifies that the animal described above and examined on this day:

(a) shows no clinical sign or symptom of infectious or contagious diseases on the day of shipment;

(b) satisfies the following requirements:-

(1) the country is free from the African Horse Sickness;

(2) during one hundred eighty days immediately prior to export, the equine underexport has not visited any country where African Horse Sickness occurred in the past two years immediately preceding the export;

(3) Contagious Equine Metritis (CEM) has not been reported during last twenty months in the country and the animal has not originated/reared in/visited any of the Contagious Equine Metritis (CEM) infected countries during last two years; or

the country has reported Contagious Equine Metritis (CEM) but the animal under export is:-

(i) less than seven years (in case of male) / less than five years (in case of female) of age which have never been mated and the equine has not been in contact with breeding stock during twelve months immediately prior to export; or

(ii) the breeding horses that have mated and pregnant mares come from an establishment which has been free from CEM for at least 3 years;

(4) in the cases of (i) and (ii) of the requirement (3), swabs collected from prepuce, urethra, vagina and cervix, as the case may be, of the equines has been found negative for pathogenic micro-organisms, specifically Taylorella equigenitalis, by standard culture on two consecutive occasions at seven days interval during the pre-export quarantine;

(5) the equine was kept in an establishment for three months prior to shipment where no infectious or contagious disease, including Epizootic Lymphangitis, Ulcertive Lymphangitis, Trypansomiasis, Dourine, Equine Piroplasmosis, Equine Rhiopneumonitis, Equine Encephlomyelitis, Equine Influenza, Equine Infectious Anemia, Potomac Horse Fever, West Nile Virus infection

17365910-3

and Vesicular Stomatits was reported and no such diseases were reported around such establishment;

(6) the animal prior to export has been vaccinated with Equine Influenza vaccine, and the last vaccination should be within thirty days but not less than fourteen days prior to embarkation;

(7) the equine being exported has been kept in isolations in an approved Government quarantine station and subjected to the following tests with negative results, namely:-

Disease (1)	Diagnostic Test (2)	Condition (3)
Glanders	Mallein/Complement Fixation Test (CFT)	During fifteen days before shipment
Dourine	Complement Fixation Test (CFT)	Fifteen days before shipment
Equine Infectious Anaemia (EIA)	Coggins (Immunodiffusion Test)	During thirty days before shipment
Infectious Equine Abortion (*Salmonella abortus equi*)	Serum Agglutination Test (titre not greater than one/three thousand)	During fifteen days before shipment
Equine Viral Arteritis (EVA)	Virus Neutralisation Test	Two occasions at least fourteen days apart with negative result during twenty eight days prior to shipment.
Vesicular Stomatitis	Complement Fixation Test (CFT) or Enzyme-linked immunosorbent asay (ELISA)	At least 21 days after the commencement of pre-export quarantine.
Contagious Equine Metritis (CEM)	Culture of Micro-organisms	Two consecutive tests at weekly interval during pre-export quarantine period with negative results.
Equine Piroplasmosis (*Babesia equi* and *Babesia caballi*)	Complement Fixation Test (CFT) or Indirect Fluorescent Antibody Test (IFAT)	During thirty days before shipment
Venezuelan Equine Encephalomyelitis	Haemagglutination Inhibition (HI) or Complement Fixation Test (CFT) or Plaque Reduction Neutralisation Test (PRNT)	Not less than fourteen days after the commencement of pre-export quarantine.

N.B.: **No testing is necessary in respect of such diseases for which freedom status has been certified and in cases of castrated horses gelding for Contagious Equine Metritis.**

Signature: ____________________

Official Stamp:

____
Name and address of Veterinarian

Issued at __________ on ________

4. **POST IMPORT QUARANTINE:**

After import in India, the animal shall be kept in quarantine for a minimum period of thirty days at the Government Quarantine Station. During the quarantine period, the animal shall be subject to standard culture and serological examination for any disease as deemed necessary. In case of Contagious Equine Metritis (CEM), three consecutive samples drawn at seven days interval should be tested negative. In the event of any animal being found positive for any exotic disease, the animal shall be deported back to the country of origin/destroyed at the quarantine station at the cost of the importer.

[F. No. 109-2/2009-Trade]
ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054